

# फर्द अहकाम

[ नियम 26 ]

उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

सम्पत्त वनाम ..... अहलाह  
 नाम ..... हाथ ..... नं० ..... सन् .....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>5- पत्रावली पेश हुई। वही वही उप.। वही वही को तबकी वही सान के परमाण अक्षर बिक्रि जाने के उपरान्त भी तबकीना पेश नहीं किया। वही वही को दिनांक 6/3/25 एवं 20/1/25 को वही सान की रजिस्टर्ड तबकी का अन्तिम मोम बिक्रि जाने के बावजूद तबकीना पेश नहीं किया।</p> <p>अतः वही वही को वही वही की रजिस्टर्ड तबकी के परमाण अक्षर बिक्रि जाने पर भी तबकीना पेश नहीं करने पर जाह 09RS के वही तबकी जारी किया जाता है। पत्रावली के लिये तबकी-अक्षर सं हल ही वाह पूर्ण जमा लेख अक्षर ही</p>	

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 मालाखेड़ा (अलवर)

# फर्द अहकाम

[ नियम 26 ]

लत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

सम्पत्त

बनाम

प्रहलाद

मुकदमा

हारा

नं०

सन्

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वसील वाही उप.। वसील वाही को तालकी वारी सान के परमाण अक्सर बिक जाने के उपरान्त भी तबखाना पेश नहीं किया। वसील वाही को तालिका 6/3/25 एवं 20/1/25 को वारी सान की रजिस्टर्ड तबखी का अन्तिम मोरा बिक जाने के कारण तबखाना पेश नहीं किया।</p>	
	<p>अतः वसील वाही को वसील वाही की रजिस्टर्ड तबखी के परमाण अक्सर बिक जाने पर भी तबखाना पेश नहीं करने पर जाह 09RS के तहत जारी किया जाता है। पत्रावली के लक्ष होकर-अक्सर से मूल ही वाहपुत्री जमा लेख 20/1/25 ही</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
मालाखेड़ा, (अजमेर)